पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

चितरेटी

गाँव - चितरेटी

पंचायत - दोवड़ा

तहसील - दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

चितरेटी गाँव का परिचय

चितरेटी गाँव दोवड़ा ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है। जो कि जिला कार्यालय डूंगरपुर से 20 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। दोवड़ा पंचायत में चार गाँव है - डाबेला, दोवड़ा, नया गाँव निचला और चितरेटी । चितरेटी गाँव के सबसे नजदीकी गाँव- नयागाँव निचला, दोवड़ा, डाबेला, दामडी, नरनिया और हथाई गाँव है । चितरेटी एक राजस्व गाँव है, जिसमें निम्नांकित फलें है-

1. होडा फला
2. डामोर फला
3. कोटेड फला
4. बन्देडा फला
5. लेम्बा फला
6. अहारी फला
7. डूंगरी फला
8. खराड़ी फला
9. डोगरा फला
10. घाटी फला । हर एक फले में लगभग 25 घर है ।

चितरेटी गाँव में 150 घर है जिनकी आबादी 800 है । गाँव में एस. टी, एस.सी. और ओबीसी जाति के लोग निवास करते है । एस.टी. में डामोर, कोटेड, अहारी, खराड़ी, परमार, ओ.बी.सी. में पंचाल और एस.सी. जाति का 1 घर है । चितरेटी गाँव में वर्ष 2018 को शिलालेख और गाँव सभा का गठन कर दिया गया । गाँव में अधिकतर लोगों को पेसा कानून की जानकारी है । हर माह एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । जिसमे गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों को सुलझाया जाता है । अक्सर दोवड़ा पंचायत की चारों गाँवसभाओं के लोग बैठकर आपस में पंचायत स्तरीय समस्याओं पर भी बातचीत करते है ।

गाँव का पूरा रकबा 101.6 हेक्टेयर है जिसमे जिसमें कृषि जमीन, बेनामी जमीन तथा चरागाह की जमीन शामिल है । गाँव में जंगल नहीं बचा है । गाँव की दक्षिणी सीमा के पास पहाड़ है जिन पर सागवान महुआ और बबूल के कटीले पेड़ है । गाँव की बेनामी जमीन, चारागाह जमीन और पहाड़ पर वन विभाग का कब्ज़ा है ।

आवागमन की स्थिति

चितरेटी गाँव की डूंगरपुर-आसपुर राष्ट्रिय हाई-वे सड़क के किनारे स्थित है, यह सड़क गाँव को दो हिस्सों में विभाजित करती है । गाँव के एक हिस्से में घाटीफला, डोगराफला, डामोर फला, कोटेड फला, अहारीफला, डूंगरी फला, खराड़ी फला है और दूसरे हिस्से में होडाफला, बन्देडा फला और लेम्बाफला है ।

दोनों हिस्सों में एक-एक पक्की सड़क है । इसके अलावा फलों में जाने के लिए सिर्फ कच्ची सड़के और पगडण्डिया ही है । गाँव में सिर्फ एक सी.सी. सड़क है जो अहारीफला और कोटेड फला में बीच में है । गाँव के मुख्य सड़क से सरकारी और प्राइवेट बस, ऑटो, जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है, लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है । क्योंकि रास्ते उबड़-खाबड़ और पहाड़ी है जिस कारण सड़क बनाना मुश्किल हो रहा है । खरिदारी के लिए बड़ा बाजार दोवड़ा 3 किमी दूर और मुख्य बाजार डूंगरपुर 20 किमी दूर जाना पड़ता है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरिदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरिदारी की जाती है। डूंगरपुर आने के लिए मुख्य रोड़ से बस या जीप मिल जाती है।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि बारिश में पानी टपकता है, खेल का मैदान तथा शौचालय की हालत जर्जर है, अध्यापकों की भी कमी है । अभी वर्तमान में 3 अध्यापक नियुक्त है । उच्च शिक्षा के लिये 20 किमी डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे रोजाना आते-जाते है ।

गाँव में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है इसके लिए दोवड़ा गाँव जाना पड़ता है, वहाँ दवाइयाँ मिल जाती है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 3 किमी दूर दामडी में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 20 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल दोवड़ा में है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव की कृषि योग्य जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली है, जिसपर मक्का, उडद, मूंग और चना की खेती की जाती है। गाँव में लोगो ने जेसीबी की मदद से थोड़ी बहुत जमीन कों समतल करवा रखा है जिस पर वे कुओं से सिंचाई करते है । कुछ लोग गेहूँ भी उगाते है लेकिन अनाज केवल चार या पांच माह खाने का ही हो पाता है। रोजगार के नाम पर मनरेगा और कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है । ज्यादातर लोगो कों मनरेगा में पुरे 100 दिन काम नहीं मिलने के कारण जॉबकार्ड और श्रमिक कार्ड नहीं बना है । कुछ पढ़े-लिखे लोग गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। चितरेटी गाँव से 4 लोग अलग अलग सरकारी विभागों में कर्मचारी है ।

सिंचाई की व्यवस्था एवं स्थिति

सिंचाई के लिए एक तलावड़ी, 19 कुएं, एक नाला है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतू में पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और इनमे पानी की कमी हो जाती है । गाँव में कोई एनिकट या बड़ा तालाब, नदी नही है जिससे पानी की कमी को पूरा किया जा सके । गाँव के एकमात्र नाले में बारिश के दिनों में ही पानी रहता है और 19 कुओं में से भी 7 कुएं हमेशा सूखे ही रहते है, बाकि के 12 कुओं में पानी साल भर के

लिए मिल जाता है लेकिन कुओं की गहराई कम होने के कारण ग्रीष्म ऋतू में पानी बहुत कम हो जाता है ।

गाँव की विभिन्न चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न् प्रकार है-

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

गाँव में जंगल नहीं है, जहां आज से 30 साल पूर्व पहाड़ियाँ हरी-भरी थी,वहां पर लोगों ने अपने खेत बना लिये है। समतल जमीन पर जंगल पूरी तरह से खत्म हो गया है। केवल 3 बीघा जमीन पर ही जंगल बचा है । गाँव में बड़े पहाड़ और छोटी-छोटी डुंगरियाँ है लेकिन किसी भी प्रकार के खनिज संपदा के मिलने के बारे में जानकारी नहीं है । गाँव के बिलानाम, चारागाह और पहाड़ों पर वन विभाग का कब्ज़ा है ।

आवागमन की समस्या

गाँव दो हिस्सों में बंटा हुआ है, दोनों हिस्सों में एक-एक पक्की सड़क है । गाँव में सिर्फ एक सी.सी. सड़क है जो अहारीफला और कोटेडफला में बीच में है । इसके अलावा फलों में जाने के लिए सिर्फ कच्ची सड़के और पगडण्डिया ही है । गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है । क्योंकि रास्ते उबड़-खाबड़ और पहाड़ी है जिस कारण सड़क बनाना मुश्किल हो रहा है । खड्डों की वजह से अक्सर दुर्घटना की आशंका रहती है। गाँव के मुख्य सड़क से सरकारी और प्राइवेट बस, ऑटो, जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में लोगों के पास खातेदारी में न्यूनतम कृषि भूमि दो बीघा है और वह भी परिवार के दूसरे लोगों की हिस्सेदारी में है। गाँव में अधिकतर लोगों को जमीन के पट्टे नहीं मिले है । ज्यादातर खेतों को समतलीकरण की आवश्यकता है और असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश की पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है । अगर गाँव में पानी की चर्चा की जाये गाँव में 1 तलावडी और एक नाला है जो बरसात के मौसम में बहता है । लेकिन गहराई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। बारिश के पानी को रोकने के लिये पहाड़ी ढलानों पर कोई भी एनिकट या चेकडैम नहीं बने है । गाँव में पानी का स्तर 250 फुट से नीचे है। गाँव में 19 कुएं है, जिसमे से 7 कुएं सूखे ही रहते है और बाकि के 12 कुओं में साल के मई, जून माह तक पानी बहुत कम हो जाता है कि उससे सिर्फ जानवरों को पानी पिलाया जाता है । पीने के पानी की व्यवस्था के लिए गाँव में 20 हेण्डपम्प है। जिनमें से 4 गर्मी के मौसम में सूख जाते है। सभी हेण्डपम्प और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। वर्षा के जल को संरक्षित करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने

कोई ध्यान नहीं दिया है। गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। गाँव में चरागाह की जमीन और खेती की जमीन कम है जिस कारण पशुओ के लिए भी चारा कम ही उग पाता है। खेती में सिंचाई के पानी की कमी के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जाता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरिदते है या फिर 4-5 परिवार वाले मिल कर 15000 से 17000 रूपये में भूसे का ट्रक खरिदते है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

गाँव में 150 घरों के बच्चों के लिए है सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में छत की मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि बारिश में पानी टपकता है, विद्यालय में खेल का मैदान तथा शौचालय की हालत जर्जर है, विद्यालय के शौचालय में बारिश का पानी टपकता है। विद्यालय में मात्र 3 अध्यापक है जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रर्याप्त नहीं है । पांचवी कक्षा के बाद बच्चे पढाई के लिए दामडी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में जाते है । गाँव के बच्चे स्नातक शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में जाना पड़ता है, अधिकतर बच्चे रोजाना आते-जाते है । गाँव की 1 आंगनवाड़ी है उसमें लोग अपने बच्चों को कम भेजते है क्योंकि छत खराब हो चुकी है जिससे बारिश का पानी अन्दर टपकता है। बड़ा सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 20 किमी दूर डूंगरपुर शहर में है, जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

चितरेटी गाँव में केवल बारिश के मौसम में ही मुख्य फसल उगा ली जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। हालाँकि वहाँ पर तालाब, कुआं, बोरवेल एनिकट है । ग्रीष्म ऋतू में जिन खेतों में फसल उग रही है वे कुआं व बोरवेल के पानी से सिंचित है। गाँव में भू-जल स्तर 250 फुट से भी नीचे चला गया है। विचार करने योग्य बात यह है कि यदि वर्तमान में जमीन में पानी इतना गहराई में चला गया है और ग्रीष्म ऋतू में पानी ख़त्म हो जाता है तो कुछ सालों बाद गाँव में पानी का स्तर और भी अधिक गहराई तक चला जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में जो स्थिति बारिश की मात्रा और पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है । वर्तमान में गाँव में 20 हैंडपंप है और चालू 16 हैंडपंप में से आधे से ज्यादा गर्मी में ख़राब हो जाते है या सूख जाते है । गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये करीब 19 कुऐं, 1 तलावड़ी और नाला है। लेकिन अधिकतर गर्मी के मौसम में सूख जाते है। गाँव में गेहूँ, ग्वार, मक्का, उडद, तुहर, चने की खेती की जाती है, जो कि केवल 4 या 5 माह ही चल पाता है, खेती से होने वाला

अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीद कर लाना पड़ता है। जिसके लिये सरकारी उचित मूल्य की दूकान गाँव में ही दोवड़ा में है। राशन की दुकान पर गेहूं मिलता है, चीनी तथा केरोसीन त्यौहारों पर ही मिलता है। राशन दुकान पर पॉस मशीन की भी समस्या रहती है और दूसरे गाँव के लोग भी आते है, जिसके कारण काफी लम्बी लाइन राशन लेने के लिये लग जाती है।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार का मुख्य साधन या तो खेती है अन्यथा मजदूरी एक मात्र आजीविका चलाने का साधन है । रोजगार की स्थिति भी काफी खराब है, गाँव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। गाँव में नरेगा पर काम मिलता है। जिसमें गाँव की 80 प्रतिशत महिलायें जाती है तथा जो पुरुष यहां रह कर खेती करते है वे भी नरेगा में काम पर जाते है। वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है। जिसके लिये जवाब मांगने पर बैंक खातों के स्थानान्तरण की बात कह कर टाल दिया जाता है। गाँव में किसी का भी श्रमिक कार्ड नहीं बना है।

अन्य

गाँव में 1 सामुदायिक भवन है लेकिन इसकी हालत ख़राब है क्योंकि इनमे बारिश के मौसम में पानी टपकता है । 1 श्मशान घाट है लेकिन उनपर टीन या छाया की व्यवस्था नहीं है न ही कोई बैठक व्यवस्था है । मुख्य सड़क पर यात्री-प्रतिक्षालय नहीं है । शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप नहीं है । गाँव में आर.प्लांट की सुविधा नहीं है जिस कारण निवासी फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	**हालत**	**सम्भावना**
जल नाला तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	गाँव में कोई नदी, एनिकट और चेकडैम नहीं है । गाँव में 1 नाला और एक छोटी तलावडी है, जिसमे बारिश के मौसम में पानी रहता है लेकिन बारिश के मौसम के दो माह बाद ही सूख जाता है । गाँव में 19 कुएं और 20 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गाँव में सिंचाई और	गाँववासियों के अनुसार यदि तलावड़ी कों गहरा कर के गहरा किया जाये और रिंगवाल बने तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है । सही जगह का चयन करके एक बड़ा तालाब बनाया जाना चाहिए ताकी सिचाई के पानी की पूर्ति पूरी हो सकती है । पहाड़ी ढलानों पर चेकडैम और बड़ा एनिकट बनाना चाहिए इससे गाँव में जमीनी पानी का तो जलस्तर ऊंचा होगा

	मवेशीयों के पानी के लिये 1 तलावड़ी है लेकिन गर्मी समाप्त होने से पहले ही सभी में पानी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में मवेशीयों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है।	और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। बंद हैंडपंप को चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए ।
जमीन कृषि भूमि बिलानाम भूमि चरागाह पहाड़	गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। गाँव में बिलानाम जमीन, चारागाह और पहाड़ों पर वन विभाग का कब्ज़ा है । चारागाह भी है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाँव की बेकार पड़ी जमीन जिस पर किसी प्रकार की खेती या उपज नहीं होती है, को गाँवसभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव में 1 पक्की सड़क है । एक सी.सी. सड़क है । गाँव में केवल कच्ची सड़के है जिनसे बारिश में आने जाने में बहुत समस्या होती है ।	यदि गाँव के सभी कच्चे रास्तो को सी.सी. सड़क में बदले जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी । साथ ही सी.सी. सड़को के किनारों पर नालियाँ निकाली जाये और रोड लाइट की वयवस्था होनी चाहिए ।
स्कूल	गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है । खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । स्कूलों में अध्यापको की कमी है ।	प्राइमरी स्कूल में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल के शौचालय की भी मरम्मत करवाई जा सकती है। खेल के मैदान की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है ।
सामुदायिक भवन	गाँव में 1 सामुदायिक भवन है लेकिन इनमे बारिश के मौसम में पानी टपकता है ।	छत की मरम्मत करवानी है ।

आंगनवाड़ी केंद्र	गाँव में 1 आंगनवाड़ी केंद्र है लेकिन इसकी छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता है और फर्श भी टूट गयी है ।	छत और फर्श की मरम्मत करवानी है ।
शमशान घाट	गाँव का शमशान घाट पूरी तरह से टूट चुका है, ना तो वहां पर टीनशेड है ना ही चबूतरा है।	नए सिरे से निर्माण करवाना है और एक बैठक के लिए भवन बनवाना है ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में केवल 1 प्राथमिक स्कूल है उसमे अध्यापकों की कमी है, नियुक्त अध्यापक भी समय पर नहीं आते है । प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है ।	गाँव में प्राथमिक स्कूल में सभी व्यवस्थाये पूरी और अच्छी दी जाये । अध्यापको को समय पर आने के लिए पाबंद किया जाना चाहिये ।	तात्कालिक
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 19 कुएं और 20 हैंडपंप है लेकिन आधे सूखे है या पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है । गाँव का जलस्तर 250 फिट से निचे चला गया है।	जो हैंडपंप बंद हो गये है जिनमे पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में तालाब, एनिकट और चेकडैम निर्माण करना और गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव	**दीर्घकालिक**

				सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत /** सार्वजनिक	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। सिंचाई के लिए 1 नाला, तलावडी और कुएं ही है, लेकिन सभी जल संसाधन गर्मी में सूख जाते है या पानी इतना कम हो जाता है कि केवल पशुओं को पिलाने लायक ही बचता है । बोरवेल का अत्यधिक उपयोग ।	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण करना, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी और पक्के टांके बनवाना तथा कच्चे चेकडैम का निर्माण। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। घर और खेतों में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में सी.सी. सड़को की बहुत कमी है । कच्ची सड़के तेज बारिश होने के कारण काफी ख़राब हो गयी है जिसके कारण हादसों की संभावना बनी रहती है ।	गाँवसभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं । कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना । साथ ही सड़क किनारे नालियों की व्यवस्था और रोड लाइट की व्यवस्था करना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना - आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान**	**व्यक्तिगत**	गाँव में आवास योजना में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास गरीबी के कारण नहीं बने हैं साथ	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**

	संबधी समस्या		ही यह कारण दिया जाता है की जन गणना के दौरान उनका नाम उस लिस्ट में बी.पी.एल. की सूचि में नहीं है । जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं । पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है।		
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
7	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	राशन की दुकान दूसरे गाँव में है, वहां और भी दूसरे गाँव से लोग आते है और अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है । अनाज में केवल	गाँव में ही राशन की दुकान खोलने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव पारित करना । राशन डीलर को पाबंद कर समय पर दुकान खोलने और पूरा राशन दिलवान और जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके	**तात्कालिक**

			गेहूँ दिया जाता है, शक्कर और केरोसिन त्यौहार पर मिलता है ।	नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना ।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क पक्की सड़कें	पक्की सड़क केवल गाँव में जाने के लिए, कच्चे रास्ते को सी.सी. में नहीं बदलना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। सी.सी. सड़कों की कमी, रोड लाइट की मांग नही ।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। बीमार लोगों को चिकित्सकिय सुविधा जल्द मिल जाएगी ।	गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना, सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना ।
जल नाला तालाब कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में 1 नाला और 1 तलावडी है लेकिन गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँवके लोगों की जागरूकता में कमी। जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना । सरकारी योजना और मौसम पर अधिक निर्भर रहना ।	कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, तलावडी कों गहरा करके नहर निकाली जाये । पानी को रोकने के लिए पक्की टंकी का निर्माण करवाना । बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। बोरवेल का	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

		उपयोग कम करना ताकि जल स्तर एकदम से निचे न जाये । गाँव सभा में इसके लिए प्रस्ताव लेना ।	
आजीविका के साधन	गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। घरेलु उद्योग भी किये जा सकते है।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन का प्रयोग नहीं होना। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

➢ **नजरिया नक्शा**

गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्तावित कार्य	**संख्या**
सी.सी. सड़क निर्माण के सम्बन्ध में	7
कुओं की गहराई और मरम्मत के सम्बन्ध में	15
तलावडी गहरी करवाने के सम्बन्ध में	1
खेत समतलीकरण	22
नये हैंडपंप खुदवाने के सम्बन्ध में	9
वृद्धा पेंशन के सम्बन्ध में	4
पशुवाडा निर्माण के सम्बन्ध में	32
सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में	1
आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के सम्बन्ध में	1

- **गाँव विकास प्रस्ताव**

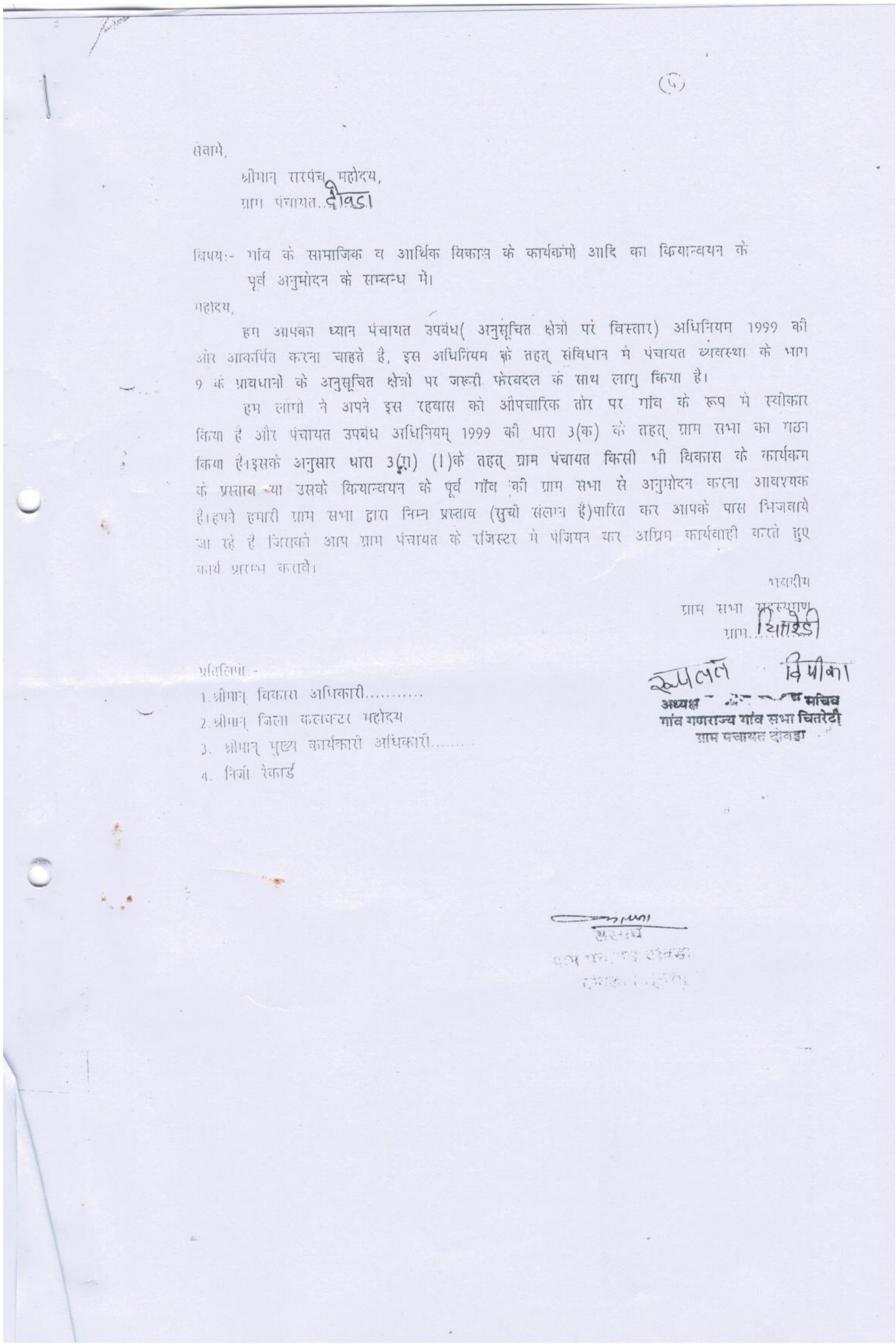

(5)

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत..दौवड़ा

विषय:- गांव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगो ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गांव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके कियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावे।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम..चितरेटी

प्रतिलिपि:-

1.श्रीमान् विकास अधिकारी..........

2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी........

4. निजी रेकार्ड

रूपलाल दिपीका

अध्यक्ष सचिव

गांव गणराज्य गांव सभा चितरेटी

ग्राम पंचायत दौवड़ा

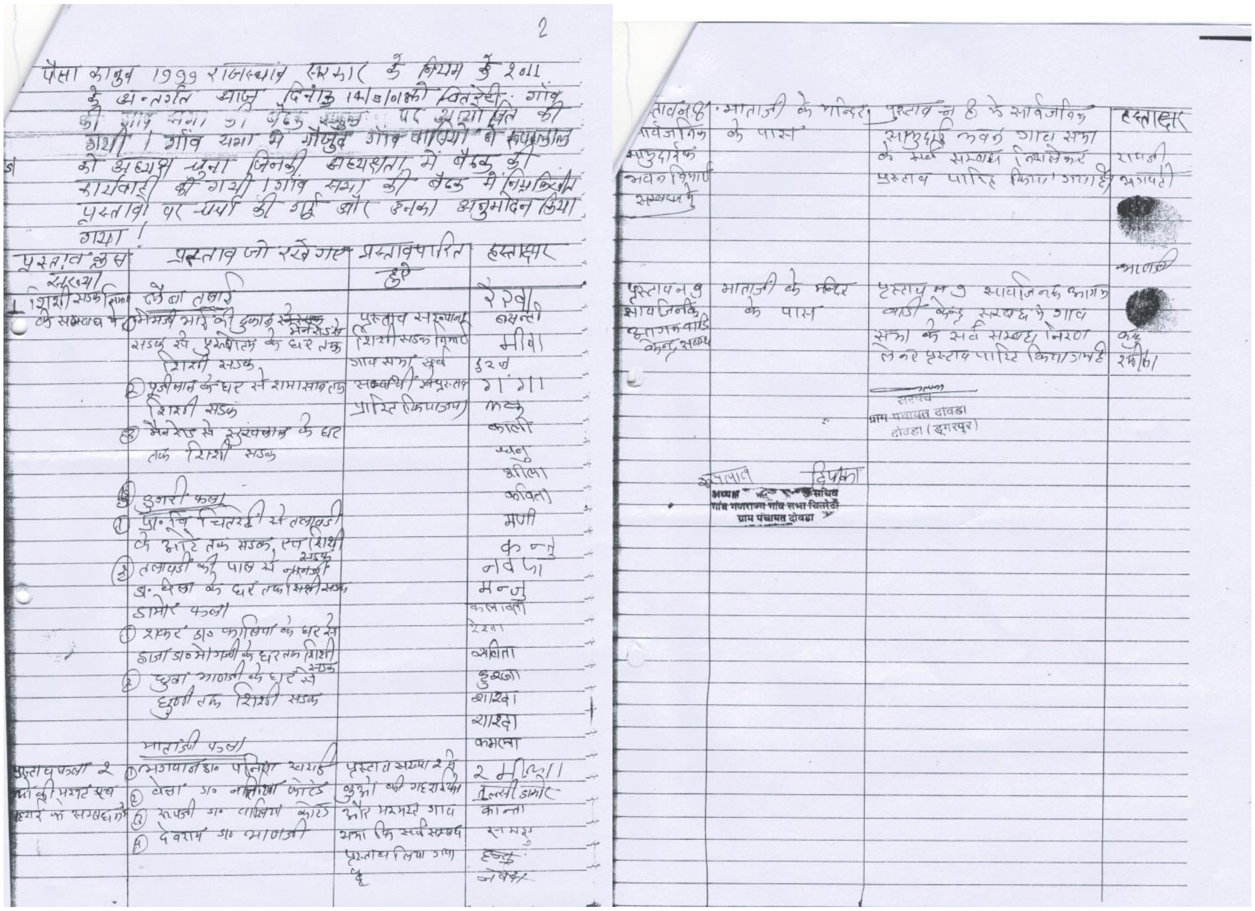
2

पैसा कानून 1999 राजस्थान सरकार के नियम के 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 14/3/018 को वितरेडी गाँव की गाँव सभा की बैठक [illegible] पर आयोजित की गयी। गाँव सभा मे मौजुद गाँव वासियो ने रूपलाल को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक मे निम्नलिखित प्रस्तावो पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रम संख्या	प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव पारित हुऐ	हस्ताक्षर

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1.	रतन कचरा	9660478019
2.	भगवान खराड़ी	7230903266
3.	सविता	9001084489
4.	भेम जी	9928069270
5.	रूपचन्द अहारी	9549466959